

आदेश - पत्रक

अनुसूची 14-फारम नं० S62

(दिल्ली अधिनियम, 1941 का नियम 129)

आदेश नम्बर से
 जिला **दा. खा. वा. सं.**

467
5/13-14

आदेश की क्र० सं० और ता०	आदेश और परामर्शकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

श्री **मती मंडू देवी**

पत्न्या/0. श्री **चतुर्जय कुं. सिंह** नाम **देवी**

स्थान **खस** जिला **नामदा**

फं. नं० **315** दिनांक **25/5/11**

आदेश पर दिनांक **25/5/11** पर दायित्व खारिज हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया है।

नौजा का नाम	नौजी नं०	खाता नं०	खसरा	एराजी
पराडी	—	120	1509	1200
14				लीक

मूल आवेदन पत्र हेतु नौजियारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन हेतु दे दें। मजाल पर सूचना जारी कर आपत्ति को मांग कर। अधिलेख दिनांक **31/05/13** को उपस्थित करें।

MS **MS**
 मजाल अधिकारी अंचल अधिकारी

मजाल पर नामसला नोटिस प्राप्त है। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। नौजियारी का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। उन लोगों ने आवेदन के नाम दाखिल खारिज करने की अनुमति किये हैं। फलतः इनको अनुमति के आधार पर दायित्व मजाल पर लगाया जा रहा है। शरीर पर लिखें।

दिये गए एवं मुद्रित किया

MS

31/05/13
31/5/13
 अधिकारी **MS**

31/5/13
31/5/13